

“न्यायिक प्रक्रिया जहाँ पक्षकारों की सहमति से निर्णय होता है।”



राष्ट्रीय लोक अदालत एवं बाल लोक अदालत

स्थल:- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी।

विषय:- मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद (i) अपराधिक शमनीय वाद (ii) एन.आई.एक्ट धारा वाद (iii) बैंक ऋण वसूली वाद (iv) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सीटी.) वाद (v) वैवाहिक विवाद (vi) श्रम विवाद (vii) भूमि अधिग्रहण के मामले (viii) राजस्व मामले (ix) विद्युत तथा पानी बिल संबंधित विवाद (चोरी के मामले छोड़कर) (x) सेवा (वेतन, भत्ता एवं सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित) (xi) अन्य दिवानी वाद (किराया, सूखधिकार निषेधाज्ञा, Specific Performance वाद) एवं (xii) अन्य मामले।

दिनांक :

10 फरवरी 2018	08 सितम्बर 2018
14 अप्रैल 2018	08 दिसम्बर 2018
14 जुलाई 2018	

कहाँ सम्पर्क करें:-

लोक अदालत द्वारा अपने मामले का परस्पर वार्ता के आधार पर निष्पादन के इच्छुक व्यक्ति तत्काल सम्पर्क करें:-

1. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी।
2. संबंधित विभाग / बैंक / इंश्योरेंस कम्पनी / बिजली कंपनी इत्यादि।
3. न्यायालय/न्यायाधिकरण जहाँ मामला लंबित है।
4. जिला विधिक सेवा प्राधिकार A.D.R. Building, Dumra, Sitamarhi

नोट

1. लोक अदालत में परस्पर वार्ता के आधार पर मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाता है।
2. लोक अदालत द्वारा पारित एवार्ड को सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह कानूनी मान्यता है।
3. अगर कोई अन्य मुल्क दिया गया हो तो निस्तारण के उपरान्त उसे वापस कर दिया जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सीतामढ़ी।

व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा आयोजित

विशेष जानकारी हेतु सम्पर्क करें। फोन नं०-06226-251256

“हुई लड़ाई हुई अदालत, चलो चले भाई लोक अदालत”